चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 08.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 08.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 08.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा आगामी महाकुंभ के दृष्टिगत शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना कोतवाली कर्वी अंतर्गत अन्तर्राज्यीय बैरियर देवागंना पर संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा देवागंना बैरियर पर बनाए जा रहे चेक पोस्ट का निरीक्षण किया तथा उपस्थित पुलिस कर्मियों को चेक पोस्ट से निगरानी करने,संदीग्ध व्यक्तियों/वाहनों की पहचान करने व जंगल का रास्ते होने के कारण विशेष सावधानियों को बताया गया तथा सुधार कराने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को निर्देशित किया ।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी,थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह व पीआरओ श्री प्रवीण सिंह मौजूद रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस प्रभारी श्री एम.पी. त्रिपाठी एवं थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा दिनाँक 01.01.2025 को थाना भरतकूप क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पतौड़ा में रेलवे ट्रैक के पास हुयी हत्या का खुलासा करते हुये हत्या करने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

1. विनोद यादव पुत्र भगवानदीन यादव निवासी उदयपुर नकटा पुरवा हड़हा माफी थाना बदौसा जनपद बादा
2. सुनैना पत्नी रामकृष्ण निवासी चौसड़ थाना बिसण्डा जनपद बांदा

<u>बरामदगीः-</u>

1. 03 अदद मोबाइल फोन
2. एक अदद मोटरसाईकिल UP 90 Y 6453 बिना कागजात के
3. हत्या में प्रयुक्त पत्थर

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समयः-</u>

रसिन बाँध जाने वाले तिराहे बदौसा रोड पर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट,दिनाँक 08.01.2025 की समय करीब 06.50 बजे

<u>सक्षिप्त विवरणः-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 01.01.2025 को सूचना मिली की एक लावारिस लाश बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के नीचे रेलवे ट्रैक पतौड़ा ग्राम के पास ट्रेन से कटी हुई हालत में मिली । रेलवे ट्रैक से कुछ दूर पर खून काफी गिरे हुए थे एवं पास में पड़े पत्थर में भी खून लगा हुआ था जिससे प्रतीत होता है कि अज्ञात व्यक्ति के शरीर को घसीटकर रेलवे ट्रैक पर रखकर ट्रेन से कटने की घटना को बनाया गया था । जिसको सोशल मीडिया सेल के माध्यम से फोटो व पहचान भेजकर शिनाख्त हेतु प्रयास किया गया था। वादी रामरतन पुत्र लालाराम निवासी चौसड़ थाना बिसण्डा जनपद बांदा द्वारा सूचना दिया गया कि मेरा लड़का रामकृष्ण घर से अतर्रा बाजार जाकिट लेने गया था मेरा लड़का घर वापस नही आया था तो मैं इधर –उधर पता करता रहा मेरे लड़के कि लाश ग्राम पतौड़ा के पास मृत्यु अवस्था में मिली होने की जानकारी प्राप्त हुई । इस पर हम परिवारीजन मौके पर पहुंचकर फोटो व कपड़ो से पहचान किया । मुझे शक है कि मेरे लड़के की हत्या विनोद व मेरी बहु सुनैना ने की है क्योकि मेरे घर विनोद का आना जाना था । इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 08/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम विनोद पुत्र अज्ञात व सुनैना पत्नी रामकृष्ण पंजीकृत किया गया । घटना का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना के अनावरण हेतु एसओजी/सर्विलांस प्रभारी तथा थानाध्यक्ष भरतकूप को निर्देशित किया गया ।

आज दिनाँक 08.01.2025 को एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना भरतकूप पुलिस मुकदमा उपरोक्त में संदेही व्यक्तियों व घटना के अनावरण में मामूर थे कि जरिये मुखविर सूचना मिली की विनोद व उसके साथ एक महिला मोटर साइकिल पर बैठकर रसिन बांध की तरफ जा रहे है। इस सूचना पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए बघेलाबारी रसिन बाँध जाने वाले तिराहे बदौसा रोड पर पहुंचकर विनोद को रोक लिया गया । नाम पता पूछते हुये मोटरसाईकिल चालक ने अपना नाम विनोद यादव पुत्र भगवानदीन यादव निवासी उदयपुर नकटापुरवा हड़हा माफी थाना बदौसा जनपद बादा बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 02 मोबाइल बरामद हुआ जिसमें एक INFINIX कम्पनी का अभियुक्त का है तथा दुसरा मोबाईल REDMI कम्पनी का जो मृतक का गायब हुआ था वह है। अभियुक्ता सुनैना पत्नी रामकृष्ण निवासी चौसड़ थाना बिसण्डा जनपद बांदा की जामातलाशी महिला आरक्षी से लिवायी गयी तो उसका अपना का मोबाइल ITEL कम्पनी का बरामद हुआ,जिसके माध्यम से घटना के समय वह विनोद के सम्पर्क में बराबर बनी रही । बरामद मोटर साइकिल UP 90 Y 6453 बिना कागजात के अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया । कड़ाई से पूंछताछ में अभियुक्ता ने इस घटना के षड़यत्र में विनोद के साथ सम्मलित होना बताया । जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 238/61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

एसओजी/सर्विलांस टीमः-

1.निरीक्षक श्री एम.पी त्रिपाठी
2.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुशवाहा
3.मुख्य आरक्षी नितेश समाधिया
4.आरक्षी आशीष कुमार
5.आरक्षी रोहित सिंह
6.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
7.आरक्षी गोलू भार्गव
8.आरक्षी पवन राजपूत

थाना भरतकूप की पुलिस टीमः-

1.थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह
2.उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय
3.आरक्षी सतीश यादव
4.आरक्षी रणवीर सिंह
5. महिला आरक्षी निशा अहिरवार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों की विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी सीतापुर पुलिस ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये, 01 चोर को चोरी की मोबाइल व 800/- रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 08.01.2025 को श्री शिवनाथ पुत्र सदल निवासी गांधीगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि मो0 अतर अंसारी उर्फ अथर अंसारी पुत्र मो0 जफर अंसारी निवासी जोगी नवादा थाना बरदारी जनपद बरेली आया जो मेरे यहाँ काम करता था दिनाँक 06.08.2025 को दुकान में रखे नगद रूपये व वीवो मोबाइल चोरी कर लिया । इस सूचना पर थाना कोतवली कर्वी में मु0अ0सं0

13/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम मो0 अतर अंसारी उर्फ अथर अंसारी पुत्र मो0 जफर अंसारी निवासी जोगी नवादा थाना बरदारी जनपद बरेली पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता को निर्देशित किया गया। आज दिनाँक 08.01.2025 को समय करीब 11.30 बजे चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये मुकदमा उपरोक्त के नामजद अभियुक्त मो0 अतर अंसारी उर्फ अथर अंसारी पुत्र मो0 जफर अंसारी निवासी जोगी नवादा थाना बरदारी जनपद बरेली गिरफ्तार किया गया तथा जामा तलाशी से चोरी का एक अदद वीवों कम्पनी का मोबाइल रंग ग्रे व चोरी के 800/- रूपये बरामद हुआ । मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मो0 अतर अंसारी उर्फ अथर अंसारी पुत्र मो0 जफर अंसारी निवासी जोगी नवादा थाना बरदारी जनपद बरेली

बरामदगी:-

एक अदद वीवों कम्पनी का मोबाइल रंग ग्रे

चोरी के 800/- रूपये

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1.चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता

2.आरक्षी रविन्द्र कुमार

3.आरक्षी अमर सिंह

(6). आज दिनांक 08.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा विशेष जांच प्रकोष्ठ,आईजीआरएस शाखा,जनसुचना सेल एवं सीसीटीएनएस कार्यालय का निरीक्षण कर रजिस्टरों का मिलान किया रजिस्टरों के रख रखाव,प्रार्थना पत्रों का शत-प्रतिशत निस्तारण करना कण्डम रखे सामान को साफ सफाई करने तथा सुधार हेतु सम्बन्धित शाखा प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

(7). आज दिनाँक 08.01.2025 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में बीएनएस की धारा 82 व बीएनएसएस की धारा 173(4) के क्रियान्वयन के क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया।

क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा वारण्ट शुदा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वर्णित प्राविधानों व नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023 की धारा 173(4) में अपराध की सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया ।

कार्यशाला के दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह,प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ला,रिट सेल प्रभारी वीर प्रताप सिंह एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृज बिहारी तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद शुक्ला व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा आज दिनांक 08.01.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 65/2021 धारा 147,149,323,325,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. सोमदत्त निषाद पुत्र राम प्रताप 2. नंगा उर्फ ओमप्रकाश निशांत पुत्र सोनू 3. पंचू उर्फ रोहित निषाद पुत्र सोनू 4. शंकर प्रसाद 5. राजा 6. खुन्नी पुत्रगण चुन्ना 7.बुढ़वा उर्फ बुधराज निषाद पुत्र राजा निवासी घर कल्याणीपुरवा सरधुवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष का कारावास व 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.03.2021 21 को वादिया रानी देवी पत्नी बाबू निवासी कल्याणीपुरवा सरधुवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया कि अभियुक्त गणों द्वारा एक राय होकर प्रार्थिया के जेठ ननउवा को पुरानी बातों को लेकर लाठी डंडों से मारपीट कर हाथ तोड़ देना व देवर कल्लू को मारपीट कर गाली गलौज देना करना व धमकी देना इस सूचना पर थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 65/2021 धारा 147,149,323,325,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. सोमदत्त निषाद पुत्र राम प्रताप 2. नंगा उर्फ ओमप्रकाश निशांत पुत्र सोनू 3. पंचू उर्फ रोहित निषाद पुत्र सोनू 4. शंकर प्रसाद 5. राजा 6. खुन्नी पुत्रगण चुन्ना 7.बुढ़वा उर्फ बुधराज निषाद पुत्र राजा निवासी घर कल्याणीपुरवा सरधुवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री राजेश चौरसिया द्वारा की गई। मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 03.10.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृज बिहारी तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद शुक्ला व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा आज दिनांक 08.01.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 66/2020 धारा 147,148,149,304,323,325,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.बद्री निषाद पुत्र मनसुख 2.ननकौना 3.कल्लू 4.बच्चू 5.बाबू 6. बुद्धी पुत्रगण बद्री निषाद निवासी कल्याणीपुरवा सरधुवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10-10 वर्ष का कारावास व 18500-18500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.05.2020 को वादी सोम दत्त पुत्र राम प्रताप निषाद निवासी कल्याणीपुरवा सरधुवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया कि अभियुक्त गणों द्वारा एक राय होकर अपने छत से गांव वालों को गालियां देना मना करने पर नीचे उतरकर हाथ में फावड़ा व लाठी डंडा लेकर जोर-जोर से चारों तरफ चलना जिसपर भाई गणेश के सर में लग जाने के कारण गंभीर रूप से घायल कर देना कुछ दिन बाद गणेश इलाज मृत्यु हो जाना। इस सूचना पर थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 66/2020 धारा 147,148,149,304,323,325,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.बद्री निषाद पुत्र मनसुख 2.ननकौना 3.कल्लू 4.बच्चू 5.बाबू 6. बुद्धी पुत्रगण बद्री निषाद निवासीगण कल्याणीपुरवा सरधुवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री श्याम सुंदर यादव द्वारा की गई। मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 17.07.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।

(10). आज दिनाँक-08.01.2025 को आगामी कुंभ मेला के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा मानिकपुर रेलवे स्टेशन का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु संबंधित को दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात थाना मानिकपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई व थाना कार्यालय में रजिस्टरों के उचित रख-रखाव, बंदीगृह,सीसीटीएनएस कार्यालय,प्रभारी निरीक्षक कार्यालय,महिला हेल्प डेस्क एवं नवनिर्मित भवन व अस्पताल का निरीक्षण कर परिसर के अन्दर रखे कण्डम सामान को व्यवस्थित रखकर साफ सफाई कराने एवं महाकुंभ प्रयागराज के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में लगातार चेकिंग,रास्ते से अतिक्रमण हटवाने व रोड पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़े न हो इस हेतु सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थिति रहें।

(11). आज दिनांक 08/01/2025 को सायंकाल प्रयागराज महाकुंभ के दृष्टिगत प्रज्ञान महोदय चित्रकूट के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक एलआईयू के पर्यवेक्षण में एलआईयू टीम व स्थानीय पुलिस चौकी सीतापुर तथा डॉग स्क्वायड द्वारा सीतापुर में स्थित होटलों , व आस पास तथा रामघाट में स्थित प्रमुख मठ मंदिरों, आरती स्थल में संदिग्ध व्यक्तियों /वस्तुओं की सघन चेकिंग की गई कोई भी आपत्तिजनक वस्तु /पदार्थ प्रकाश में नहीं आयी 1